राज्यपाल सचिवालय,
राजभवन, जयपुर

क्रमांकः प.20( )राभ / 2016 / 1623 दिनांक 06 मार्च, 2020

सीमित निविदा विज्ञप्ति

राजभवन, जयपुर में एक वाहन चालक TASK BASIS पर रखे जाने के लिए दरों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं जो दिनांक 13.03.2020 दोपहर 02.00 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ बंद लिफाफे में कन्ट्रोलर, राज्यपाल हाउसहोल्ड, राजभवन, जयपुर के नाम प्रस्तुत की जा सकती है। प्राप्त निविदा दिनांक 13.03.2020 को दोपहर 3.00 बजे राजभवन कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जावेगी। कार्य की अनुमानित लागत राशि रूपये 2,00,000/-(सभी करों सहित) होगी।

इच्छुक फर्में दिनांक 06.03.2020 दोपहर 3.00 बजे से बोली दस्तावेज प्रपत्र राजभवन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं अथवा राजभवन की साईट www.rajbhawan.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

कन्ट्रोलर,
राज्यपाल, हाउसहोल्ड
राजभवन, जयपुर

क्रमांकः प.20( )राभ / 2016 / 1624 दिनांक 06 मार्च, 2020

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-
1. श्रीमान् वित्तीय सलाहकार ,राज्यपाल सचिवालय ,राजभवन, जयपुर।
1. श्री विजय सिंह प्रोग्रामर ,राज्यपाल सचिवालय ,राजभवन, को राजभवन की साईट www.rajbhawan.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड ,कार्यालय
4 रक्षित पत्रावली

कन्ट्रोलर,
राज्यपाल, हाउसहोल्ड
राजभवन, जयपुर

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

सचिव,
राज्यपाल,राजस्थान
राजभवन, जयपुर

विषयः— राजभवन, जयपुर में एक वाहन चालक TASK BASIS **पर रखे जाने बाबत।**

1. फर्म का नाम व डाक का पता, टेलीफोन/माबाईल नम्बर सहित ....
   ....
2. सन्दर्भ ....
3. फर्म का सम्बन्धित वस्तु एवं सामग्री आदि का मुख्य रूप से वर्तमान में व्यवसाय करने हेतु प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति।
4. माल एवं सेवाकर (GST) पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति एवं आयकर स्थाई खाता संख्या (PAN) की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न है।
5. राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रति, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रति , कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की स्व प्रमाणित प्रतियॉ संलग्न है।
6. सचिव, राज्यपाल राजस्थान द्वारा जारी की गई सीमित निविदा में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न पृष्ठों में दी गई, उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्यता स्वीकार करते है।
7. राजभवन, जयपुर में एक वाहन चालक संविदा पर रखे जाने हेतु दरें संलग्न प्रारूप में दी गई हैं।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय सील

लेखाधिकारी | **कन्ट्रोलर** | **सहायक सचिव**

राज्यपाल सचिवालय,
राजभवन, जयपुर

निविदा की शर्तें

कार्य का नामः– राजभवन, जयपुर में एक वाहन चालक TASK BASIS **पर रखे जाने बाबत।**

1. संवेदक जो वाहन चालक उपलब्ध करायेगा उसके पास 05 वर्ष पुराना वैद्य डाईवर लाईसेन्स होना आवश्यक है।

2. सामान्यतया वाहन चालक 08 घण्टे प्रति दिन (सामान्य कार्य के घण्टे)के लिए उपलब्ध कराना होगा, किन्तु आवश्यकतानुसार / निर्देशानुसार कार्य के सामान्य 08 घण्टे प्रति दिन से अधिसमय (Overtime) के लिए भी वाहन चालक को कार्य करना होगा, कराना होगा, अधिसमय (Overtime) के लिए श्रम विभाग द्वारा जारी नियमों के अनुसार में सामान्य कार्यों के धन्टों से वास्तविक अधिसमय (Overtime) के प्रमाणन के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

3.निविदा प्रपत्र सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। निविदा दर सिर्फ स्याही से भरी जावे उसमें कोई काट–छांट ना हो। किसी प्रकार के सुधार पर अपने लघु हस्ताक्षर करें।

4.निविदा प्रपत्र एवं संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होंगे। निविदादाता की ओर से शर्त मान्य नहीं होगी।

5. यदि अनुमोदित आपूर्ति कार्य अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य सम्पादित करने में असफल रहा तो ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।

6. अनुमोदित आपूर्तिकर्ता कार्य को या उसके किसी भाग को अन्य किसी ठेकेदार / संस्था को नहीं देगा अर्थात सबलेट नहीं करेगा।

7. विभाग को यह अधिकार होगा कि वह न्यूनतम दर वाले प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है तथा किसी भी निविदा को बिना किसी कारण बताए निरस्त कर सकता है।

8. ठेका संबंधी समस्त पत्राचार कन्ट्रोलर, राजभवन राजस्थान जयपुर, के नाम करना होगा। ठेके के संबंध में किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही जयपुर में ही मान्य होगी।

9. राज्य सरकार द्वारा समय –समय पर लागू नियमों एवं वित्त विभाग (जी एण्ड टी) के परिपत्र दिनाकं 30.04.2018 की पालना करनी होगी,जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संवेदक की होगी।

10. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

11. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एव कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी ,यदि नियमों के अर्न्तगत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है तो वह वित्त (जी एण्ड टी) विभाग **के परिपत्र दिनाकं 14.11.2018 के अनुसार शपथ–पत्र** प्रस्तुत करते हुये बोली में भाग ले सकता है।

12. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

13. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

14. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्वि होने पर उपापन संस्था

द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

15. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार लागू होने पर अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई. एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

16. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर कार्य पर लागू होने पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करो को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह मे जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तदयायित्व संवेदक का होगा।

17. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा।

18. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियगन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

19. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

20. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय, शासन सचिवालय, राज. जयपुर होगे।

हस्ताक्षर बिडदाता

नामः— ....

पताः— ....

लेखाधिकारी | कन्ट्रोलर | सहायक सचिव

प्राईज बिड

कार्य का नाम : राजभवन, जयपुर में एक वाहन चालक TASK BASIS पर रखे जाने बाबत।

संवेदक का नाम व पता : ---

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (प्रति व्यक्ति प्रति माह)	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत दर (प्रति व्यक्ति प्रति माह)	इ.पी.एफ. दर प्रतिशत	ई.एस.आई. दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता की सर्विस चार्ज राशि (प्रति व्यक्ति प्रति माह)	कुल राशि प्रति माह (सभी करों सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राजभवन, जयपुर में एक वाहन चालक TASK BASIS पर रखे जाने बाबत।	01 कुशल	6474 / – प्रति व्यक्ति प्रति माह (26 दिन के लिए)	....	13%	3.25%		
Quoted Rate in Words								

नोटः–(1) माल एवं सेवाकर (GST) की राशि प्रतिमाह नियमानुसार (यदि देय हो) पृथक से देय होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता मय फोन नम्बर

लेखाधिकारी | कन्ट्रोलर | सहायक सचिव